

20/2/19 पत्रावली पेश कर एसोसियेशन में
कानूनी कार्य स्वयं
का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका
हाकर दिनांक 15/4/19 को पेश हो।

15/4/19 उभय पक्षकार उपर बहस हेतु
समप चाहते हैं समप दिया जाता है
मि० डि 15/5/19 को पेश हो।
Om-

15/5/19 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
हठारे है पत्रावली दिनांक 25/6/19
को पेश हो।

24/6/19 पत्रावली पेश हुई। बहस हेतु
समप चाहते हैं समप दिया जाता है
मि० डि 15/7/19 को पेश हो।
Om-

15/7/19 पत्रावली पेश हुई। बहस सुनीशरि
प्राथीने प्रार्थना. पत्र पेश कर निवेदन किया
है कि ग्राम अभयपुरा के ख. नं. 23, 24, 145/20,
146/35, 147/22, व 146/35 जो प्राथी की खेतपति
शुवा भूमि है जिसके मध्य हाल मिसल बन्दो-
बस्त ने ख. नं. 133/53 शालत रास्ता दर्ज कर
दिया। मौके पर ख. नं. 22 व 45 शस्ते है जो
मौके पर चालू है। प्राथी व अप्राथी ने दिनांक
9.1.12 को 0.33 हेक्टर भूमि रास्ते के लिए
स्वच्छा से समीपित की है। प्राथी ने ग्राम
अभयपुरा के ख. नं. 23, 24 व 146/35 के
मध्य ख. नं. 133/35 को गै. मु. रास्ता कायम कर
ख. नं. 174/148 को गै. मु. रास्ता कायम कर
रिजिड ड्रकस्त किये जाके का निवेदन किया है।

Om-

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए।

राजपैरोकाट ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ख.नं. 133/35 रस्ता 0.15 है भूमि ग्रं. मु. कशानी रास्ता राजकीय भूमि दर्ज है प्राची उसकी जातेदारी अपने जामा दर्ज कवाना चाहता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। प्रा. पत्र खारिज फारमाया जावे। बहस पर मनन किया उपलक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्राची ये साबित करने में असफल रहा है कि ख.नं. 24, 23 के मध्य खसरा नम्बर 146/35, 133/35 ग्रं. मु. रास्ता सेटलमेन्ट की बालती से कापम किया गया है। उक्त रास्ता पूर्व से ग्रं. मु. कशानी रास्ता राजकीय भूमि दर्ज रिगर्ड है। ख.नं. 174/146 प्राची व अग्रणी ने अपनी जातेदारी में से शर्माफित किया है जो कशानी रास्ता दर्ज नहीं है। केवल अपनी सुविधा के लिए रास्ते में शर्माफित की है। जिससे ख.नं. 146/35, 133/35 ग्रं. मु. रास्ते को टूटने का अधिकार प्राची को नहीं है न ही उक्त प्राण 136-LRA की धारा में आता है। जिससे प्राची का प्राण साबित नहीं होता है। खारिज किया जाता है। धारावली प्रैसल शुभार होकर दाखिल फलत है।

Om

(अ.प्र. म. म. ग. ग.)

उपजल अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी

नावां (नागौर)